जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम - छित्तूपुर
विकासखंड - काशी विद्यापीठ
जनपद - वाराणसी
राज्य - उत्तर प्रदेश

सम्पादन
डॉ0 रूचि बडोला
डॉ0 एस0 ए0 हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा
हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन
सुनिता रावत, राहुल यादव एवं गंगा प्रहरी टीम,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

टाइप सैटिंग
मानसी बिजल्वाण

डिजाइन
महेशानन्द पाण्डेय

फोटो क्रेडिट
एन0एम0सी0जी0 डब्ल्यू आई आई टीम

सम्पादकीय पता
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी
देहरादून – 248001
उत्तराखंड, भारत
टेलिफोन संख्या – 0135 2640114–15, 2646100
फैक्स नं0 – 0135.2640117
ई –मेल – ruchi@wii.gov.in

वर्ष – 2022

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम	—	छित्तूपुर
विकासखंड	—	काशी विद्यापीठ
जनपद	—	वाराणसी
राज्य	—	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	—	रू0 27,35,000.00
क्रियान्वयन अवधि	—	5 वर्ष

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2022

विषय वस्तु

परिचय 01

भाग – 1 प्रस्तावना 03

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना 03

भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण 04

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण 04

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक 04

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया 04

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण 04

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय 04

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति 05

2.7 कृषि एवं पशुपालन 05

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण 06

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता 05

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण 05

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता 06

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी 06

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण 06

भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders) 07

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक 07

भाग – 4 समस्या विश्लेषण 09

4.1 समस्या विश्लेषण 09

भाग –5 नियोजन का उद्देश्य 11

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ रणनीति तथा समन्वयन 13

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ 13

6.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का अभिमुखीकरण 13

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ 13

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ 14

6.5 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ 14

6.6 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ 15

6.7 जैवविविधता एवं आवास पुनर्स्थापन संबंधी गतिविधियाँ 15

6.8 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन 16

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण 16

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण 16

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट 18

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 19

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व 19

7.5 विवाद का निपटारा 20

7.6 अभिलेखों का रखरखाव 20

7.7 सफलता के सूचक 20

अनुलग्नक

1 समझौता ज्ञापन 21

2 सामाजिक मानचित्र 22

3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची 23

4 फोटो गैलरी 24

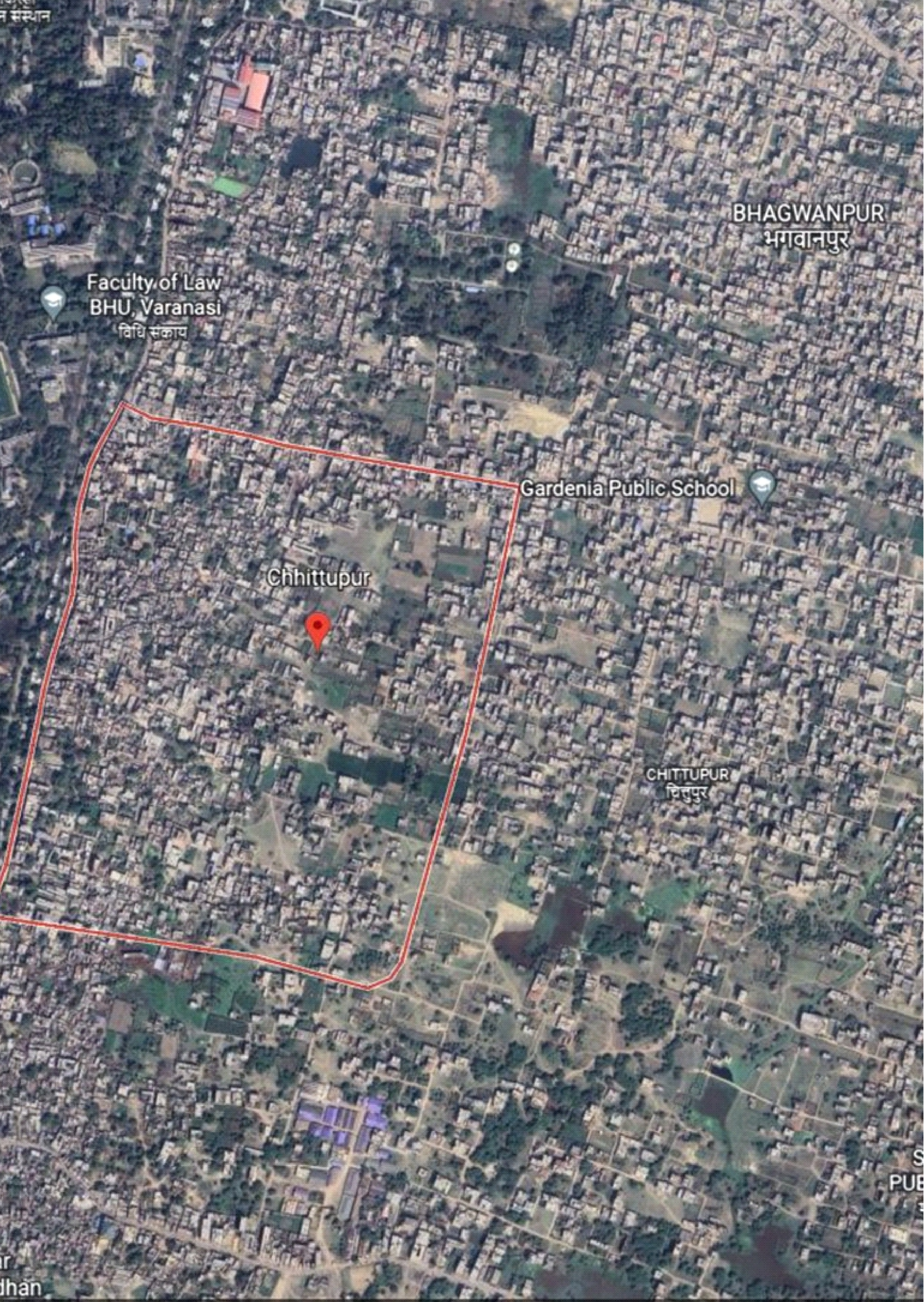

Faculty of Law
BHU, Varanasi
विधि संकाय
BHAGWANPUR
भगवानपुर
Gardenia Public School
Chhittupur
CHITTUPUR
चितुपुर

मानचित्र

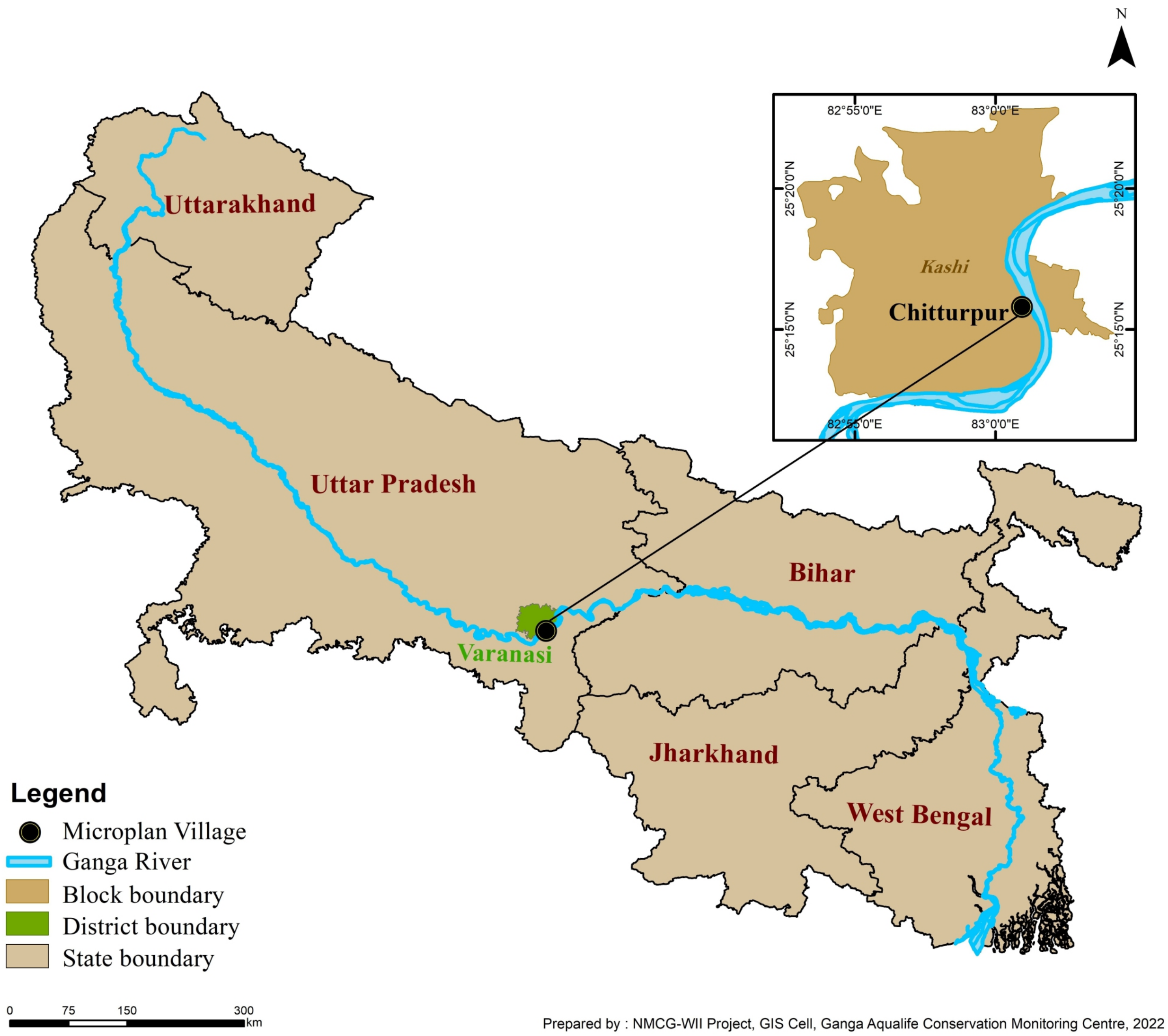

N
82°55'0"E
83°0'0"E
25°20'0"N
25°15'0"N
Kashi
Chitturpur
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Bihar
Varanasi
Jharkhand
West Bengal
Legend
Microplan Village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State boundary
0
75
150
300
km
Prepared by : NMCG-WII Project, GIS Cell, Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre, 2022

छित्तूपुर

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण, शव–दाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की जैवविविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनर्रूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा और इसकी सहायक नदियों में किया जा रहा है। साथ ही चयनित ग्राम पंचायतों का सूक्ष्म योजना भी तैयार की जा रही है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

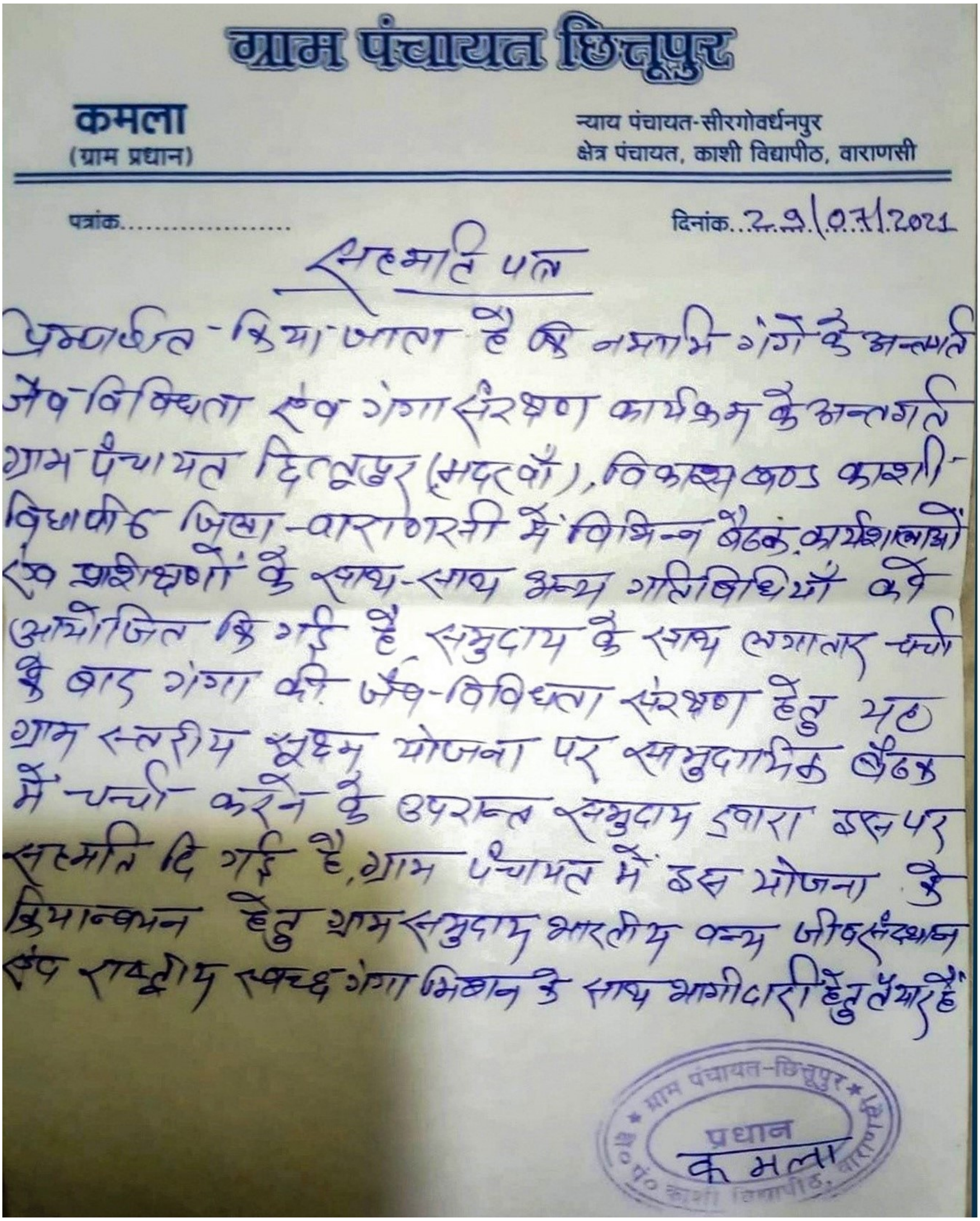

ग्राम पंचायत छित्तूपुर

कमला
(ग्राम प्रधान)

न्याय पंचायत-सीरगोवर्धनपुर
क्षेत्र पंचायत, काशी विद्यापीठ, वाराणसी

पत्रांक.....................

दिनांक 29/07/2021

सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नमामि गंगे के अन्तर्गत जैव-विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छित्तूपुर (मदरवाँ), विकास खण्ड काशी-विद्यापीठ जिला-वाराणसी में विभिन्न बैठकें, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ को आयोजित कि गई है, समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैव-विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना पर सामुदायिक बैठक में चर्चा करने के उपरान्त समुदाय द्वारा इस पर सहमति दि गई है, ग्राम पंचायत में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम समुदाय भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार हैं

ग्राम पंचायत-छित्तूपुर
प्रधान
कमला

छित्तूपुर

भाग - 1 प्रस्तावना

१.१ ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	छित्तूपुर
अवस्थिति	25.2647 अक्षांश एवं 83.0026 देशान्तर
विकासखंड	काशी विद्यापीठ
जिला	वाराणसी
राज्य	उत्तर प्रदेश
मुख्यालय वाराणसी से दूरी	13 कि0मी0
तहसील मुख्यालय सदर से दूरी	14 कि0मी0
गंगा नदी से दूरी	1 कि0मी0
कुल जनसंख्या	12230
कुल परिवार	6243
मुख्य जातियां	अनुसूचित जाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग (पटेल, निषाद, हरिजन, नाई, कहार, मल्लाह, ब्रह्मण, राजभर, गोंड, गुप्ता, यादव, ठाकुर आदि)

मुख्य समस्याएं

- जैवविविधता संरक्षण संबंधी जाागरूकता की कमी,
- श्रद्वालुओं व यात्रियों का घाट पर अत्यधिक दबाव,
- धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना,
- कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना,
- शौचालयों की कमी,
- खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग,
- जलीय जीवों के प्रजनन स्थल एवं आवास को क्षति

प्रस्तावित गतिविधियाँ

- सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां
- समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढीकरण
- आजीविका व कौशल विकास गतिविधियां
- स्वच्छता संबंधी गतिविधियां
- कृषि विकास संबंधी गतिविधियां
- पशुपालन संबंधी गतिविधियां
- जैवविविधता एवं आवास पुनर्स्थापन गतिविधियाँ

भाग -2 ग्राम पंचायत का विवरण

२.१ ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत छित्तूपुर, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जनपद के विकासखंड काशी विद्यापीठ में स्थित है। यह राज्य की राजधानी लखनऊ से 316 कि.मी. तथा जिला मुख्यालय वाराणसी से 13 कि.मी. की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ की मुख्य भाषा हिन्दी एवं उर्दू है, तथा यहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय हथकरघा एवं अन्य लघु व्यवसाय है। यह ग्राम पंचायत वाराणसी के सदर तहसील के अंतर्गत आता है। गंगा नदी से ग्राम पंचायत की दूरी 01 कि.मी. है। यहाँ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 73 हेक्टेयर है। छित्तूपुर ग्राम पंचायत के नजदीक भगवानपुर, रमन्ना आदि गांव स्थित हैं।

२.२ ग्राम पंचायत चयन के मानक

ग्राम पंचायत छित्तूपुर गंगा नदी से 01 कि0मी की दूरी पर बसा है। यहां पर कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियां, तथा प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। जिन स्थानों पर गंगा की जलीय जैव विविधता अधिक पाई गई नदी के उन हिस्सों (stretches) को चिन्हित कर उसके आसपास स्थित ग्राम पंचायतों का चयन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया। वाराणसी में स्थित कछुआ सेंचुरी के पास स्थित होने, गंगा नदी से समीपता, जलीय जैवविविधता की उपस्थिति तथा नदी व उसके संसाधनों पर निर्भरता के आधार पर गांव का चयन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है।

२.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

नमामि गंगे के अन्तर्गत चिन्हित गंगा ग्रामों के संबंध में जानकारी लेने के लिये जिला प्रशासन में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से बैठक करने के उपरान्त जिले में गंगा के किनारे बसे व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों की सूची ली गयी। उपरोक्त सभी गांवों में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं समुदाय के साथ बैठकें कर गांव की स्थिति को जाना गया। ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उददेश्यों को बताया गया। उपरोक्त वर्णित मानकों को आधार मानते हुये ग्राम पंचायत की सहमति के बाद गांव को परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

२.४ सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत छित्तूपुर में कुल 6243 परिवार निवास करते हैं। यहां की कुल जनसंख्या 12230 है। जिसमें से कुल पुरुष सदस्य 7030 और महिलायें 5200 है। छित्तूपुर में पटेल, निषाद, हरिजन, नाई, कहार, मल्लाह, ब्राह्मण, राजभर, गोंड, गुप्ता, यादव, ठाकुर आदि जातियों के लोग रहते हैं। गांव में महिलाओं की साक्षरता दर 46.72 प्रतिशत है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक सरकारी प्राइमरी विद्यालय तथा 2 जूनियर हाईस्कूल और एक इंटरमीडियेट विद्यालय हैं। यहाँ पर 9 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है।

२.५ आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

ग्राम पंचायत छित्तूपुर में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय है। यहाँ पर विभिन्न स्थानों से लोग आकर बसे हैं। ग्राम पंचायत में कुल 6243 परिवारों में से कुल 3540 परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। यहां पर रहने वाले 3696 परिवार मजदूरी, हथकरघा, लघु व्यवसाय, 950 परिवार कृषि, 350 परिवार पशुपालन, 450 प्राइवेट नौकरी एवं लगभग 130 परिवार सरकारी नौकरी पर आश्रित हैं। कुल परिवारों में से 475 परिवार नाविक है, तथा 15 परिवार नदी के किनारे कृषि करते हैं। 97 परिवार घरेलू उद्योग (प्लास्टिक डिबियाँ, कपड़ा बैग), तथा 20 परिवार पशुपालन पर निर्भर है। 20 परिवार मछुआरे हैं, जो कि गंगा नदी में नाव चलाने व मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, और 40 परिवार धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं। उनकी आजीविका सीधे तौर पर गंगा पर आश्रित है। लगभग सभी परिवार आजीविका हेतु किसी न किसी रूप से गंगा नदी पर आश्रित हैं। कृषक परिवारों की सिंचाई के लिये जल हेतु नदी पर निर्भरता है।

२.६ ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत छित्तूपुर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिये 170 हैडपम्प तथा सरकारी पाइपलाइन आदि का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर 1 टयूबवैल भी है, परन्तु टयूबवैल का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, गांव में कुल 6243 परिवारों में से केवल 3540 परिवारों के पास शौचालय है। शौचालय निर्माण एवं शौचालयों का प्रयोग करने के लिये लोगों को जागरूक करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनेकों जागरुकता कार्यक्रम चलाये गये। शौचालय का प्रयोग न करने वाले परिवार तथा ऐसे परिवार जिनके पास शौचालय नहीं हैं वो सभी परिवार नदी के किनारे एवं खेतों में शौच हेतु जाते हैं। ग्राम पंचायत में कूड़ा (Solid and liquid waste) निस्तारण के लिए सरकार द्वारा एस.एल.आर.एम. के तहत पंचायत स्तर पर कार्य प्रस्तावित है। गाँव में पंचायत भवन तथा प्राथमिक विद्यालय में एक–एक कूड़ेदान पंचायत के द्वारा रखे गये हैं। लेकिन कूड़ा निपटान की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। छित्तूपुर के पास रमन्ना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा हैं, वहीं पर गांव के तरल अपशिष्ट का निपटान किया जाना प्रस्तावित है। समुदाय द्वारा अपने खेतों में जलाकर या इधर उधर फेंककर कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

२.७ कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य साधन मजदूरी है, तथा द्वितीयक आजीविका का स्रोत कृषि है। कृषक परिवारों द्वारा कुल 43 हैक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है, गंगा किनारे खेती नहीं की जाती है। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। छित्तूपुर पंचायत में 176 परिवारों के पास कुल 400 पशु हैं, जिनमें से 60 गाय, 40 भैंस तथा 300 बकरियां हैं। 09 परिवारों के द्वारा बकरियों का व्यवसाय किया जाता है। पशुओं का चारा खेतों एवं गंगा किनारे से लाया जाता है। गंगा किनारे हिंगुआ, भम्भार, भरततिया, दूब, कुश, कांस आदि घास पाई जाती हैं।

२.८ वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

गंगा के किनारे स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में जल का मुख्य स्रोत गंगा नदी है। गाँव में पेयजल एवं सिंचाई हेतु 3 सबमर्सिबल पंप, 170 हैंडपम्प एवं 1 कुँआ हैं। निजी तथा सरकारी नलकूपों के द्वारा कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है। वर्षा का जल तथा ग्राम पंचायत का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 670.94 मिमी0 (jjm.up.gov.in) है।

२.९ ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

ग्राम पंचायत में वर्तमान में सड़क मार्ग से ही आवागमन किया जाता है। निकटस्थ रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन ग्राम पंचायत से 5 कि.मी. की दूरी पर और दूसरा 12 कि.मी. दूर काशी में है। यहाँ पर सड़क मार्ग से यातायात व आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा ग्राम में टेलीफोन सुविधा के अतिरिक्त प्राथमिक, जूनियर और इंटरमीडियेट विद्यालय, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान व डाकघर आदि सुविधाओं की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत में कच्चे तथा पक्के दोनों तरह के सम्पर्क मार्ग है।

२.१० ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण

गाँव के आस पास नीम, पीपल, गूलर, शीशम, आम, अमरूद, जामुन, बबूल, बाँस, बरगद, नीम, अशोक, महुआ, पापुलर, यूकेलिप्टिस आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। गंगा नदी के किनारे हिंगुआ, भम्भार, भरततिया, दूब, कुश, कांस आदि घास पाई जाती है। यहाँ पर गंगा नदी में जैव विविधता भी प्रचुर मात्रा में है, जिसमें कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियां, प्रवासी पक्षी आदि मुख्य हैं। मछली पकड़ने, गंगा नदी के तटों पर आवागमन, धार्मिक कार्यों के बाद नदी में कूड़ा निस्तारण गंगा के किनारे पशु चराने के कारण नदी की जैव विविधता पर असर हो रहा है।

२.११ समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय धार्मिक क्रिया कलापों, गतिविधियों, नौकायन, कृषि, सब्जी उत्पादन आदि के लिये गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में मल्लाह परिवारों के द्वारा मछली पकड़ने व नाविक के रूप में कार्य किया जाता है। मुख्य रूप से कृषि के लिये जल व पशुओं के चारे हेतु समुदाय की गंगा व उसके आसपास की वनस्पति पर निर्भरता है।

२.१२ ग्राम में चल रहे पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

छित्तूपुर ग्राम पंचायत में अभी जैव विविधता संरक्षण हेतु नमामि गंगे परियोजना के तहत "जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण" कार्यक्रम भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा संचालित है। अन्य कोई योजना संचालित नहीं है। इस क्षेत्र में जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर कछुए तथा विभिन्न प्रजाति की मछलियां जैसे कारपियो, चनना, रोहू, कतला काफी संख्या में है।

२.१३ ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

छित्तूपुर ग्राम पंचायत के समुदाय आधारित संस्थाओं की संख्या एवं विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वंय सहायता समूह (9)	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	106	सभी समूह सदस्य बैकिंग प्रक्रिया से जुड़े है।
2	आशा	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	8 मुख्य कार्यकर्ता 4 संगिनी	
3	आंगनबाड़ी	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	3 आंगनबाड़ी केन्द्र	200	
4	नेहरु युवा केन्द्र संगठन	युवा समूह	युवा कल्याण खेल विभाग	12	
5	उज्जवला योजना		एल0पी0जी गैस वितरण	120	
6	युवा कल्याण कार्यक्रम	युवक मंगल दल	खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियाँ	15	

भाग –3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, ग्रामीण समुदाय, पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैव विविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

- स्थानीय समुदाय
- धार्मिक समूह
- मल्लाह समुदाय
- विद्यालयों के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- युवक मंगल दल/नेहरु युवा केन्द्र के सदस्य
- महिलायें एवं किशोरियां
- गंगा प्रहरी
- स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण– स्वच्छ भारत मिशन, राज्य आजीविका मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग।
- केन्द्रीय मंत्रालय – जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गंगा नदी की जैव विविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (समितियों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंर्तसंबंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैव विविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंर्तनिर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

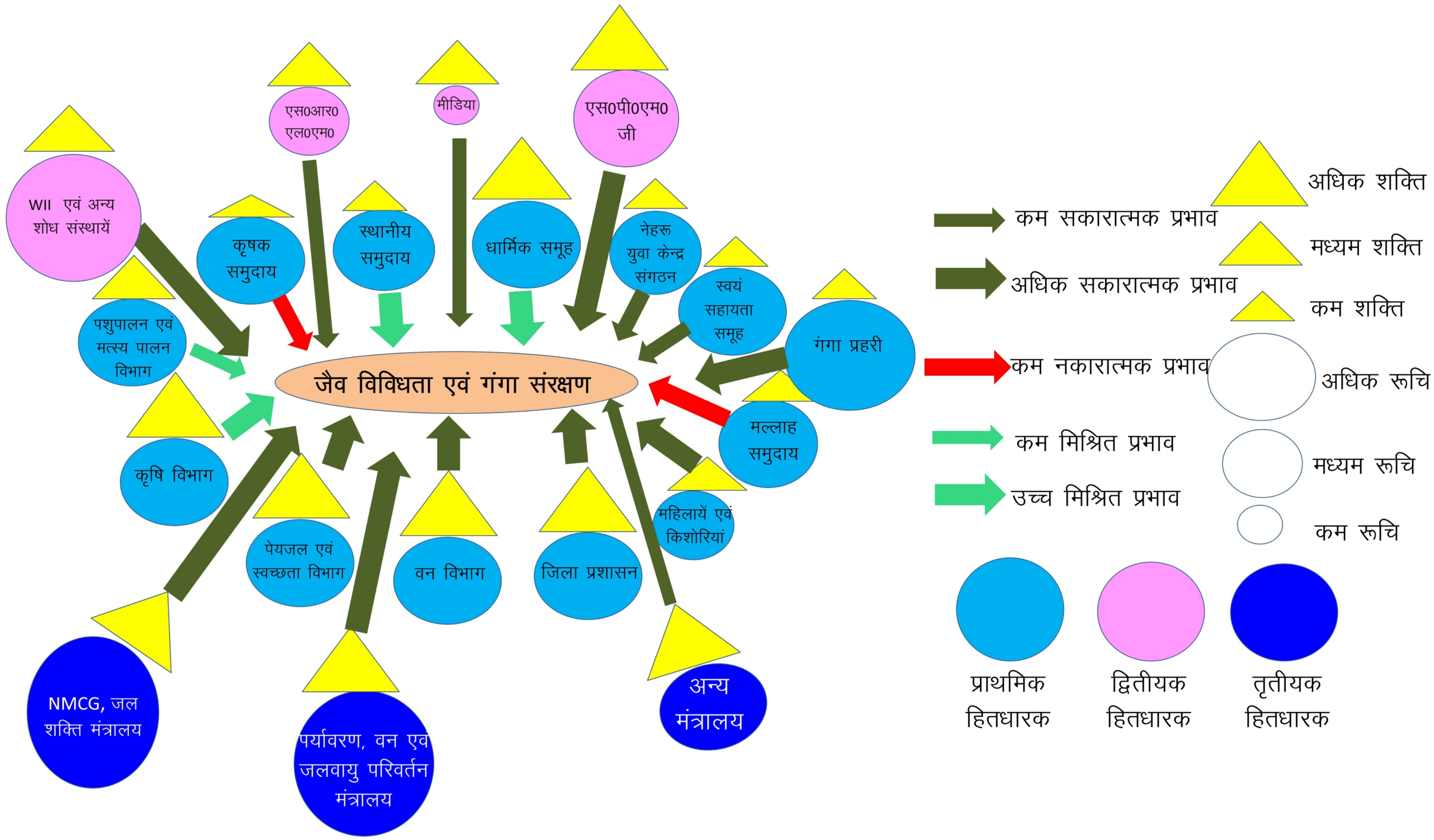

चित्र संख्या 1 – हितधारक मानचित्रण

भाग –४ समस्या विश्लेषण

४.१ समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत छित्तूपुर के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता मजदूरी, हथकरघा, कुटीर उद्योगों तथा कृषि कार्यों पर है ग्राम पंचायत में 43 हैक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। आजीविका का प्रमुख स्रोत मजदूरी होने के कारण यहाँ के निवासी शहरों की ओर पलायन करते हैं। जिन परिवारों की निरर्भता कृषि पर है उनके द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैव विविधता को हानि पहुँचाते हैं।

ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्र के समीप स्थित है और यहाँ पर यात्रियों तथा श्रद्वालुओं का निरंतर आवागमन रहता है कई परिवार बाहरी क्षेत्रों से पलायन कर यहाँ पर आकर बस रहे हैं जिससे गंगा नदी के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। बनारस के धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण माघ मेला, देव दीपावली, दीपावली, छठ पूजा व स्थानीय मेले तथा त्यौहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय में अन्य राज्यों खासकर बिहार राज्य से भी लोग छठ पूजा हेतु यहाँ आते हैं। गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण ये तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें, कैलेण्डर, मूर्तियां, धूपबत्ती, कपड़े, पॉलीथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, या गंगा के किनारे छोड देते हैं, जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

ग्राम पंचायत में लगभग 50 प्रतिशत परिवारों के पास ही शौचालय हैं शेष परिवार शौच के लिये खेतों में तथा नदी किनारे जाते हैं। जो नदी प्रदूषण का एक कारक है।

छित्तूपुर ग्राम पंचायत में कुल 176 परिवार पशुपालन करते हैं। लोगों द्वारा पशुओं को चरने के लिये नदी के किनारे छोड़ दिया जाता है। जिससे गंगा के जलीय जीवों के प्रजनन स्थल एवं आवास को क्षति हो रही है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं होने के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

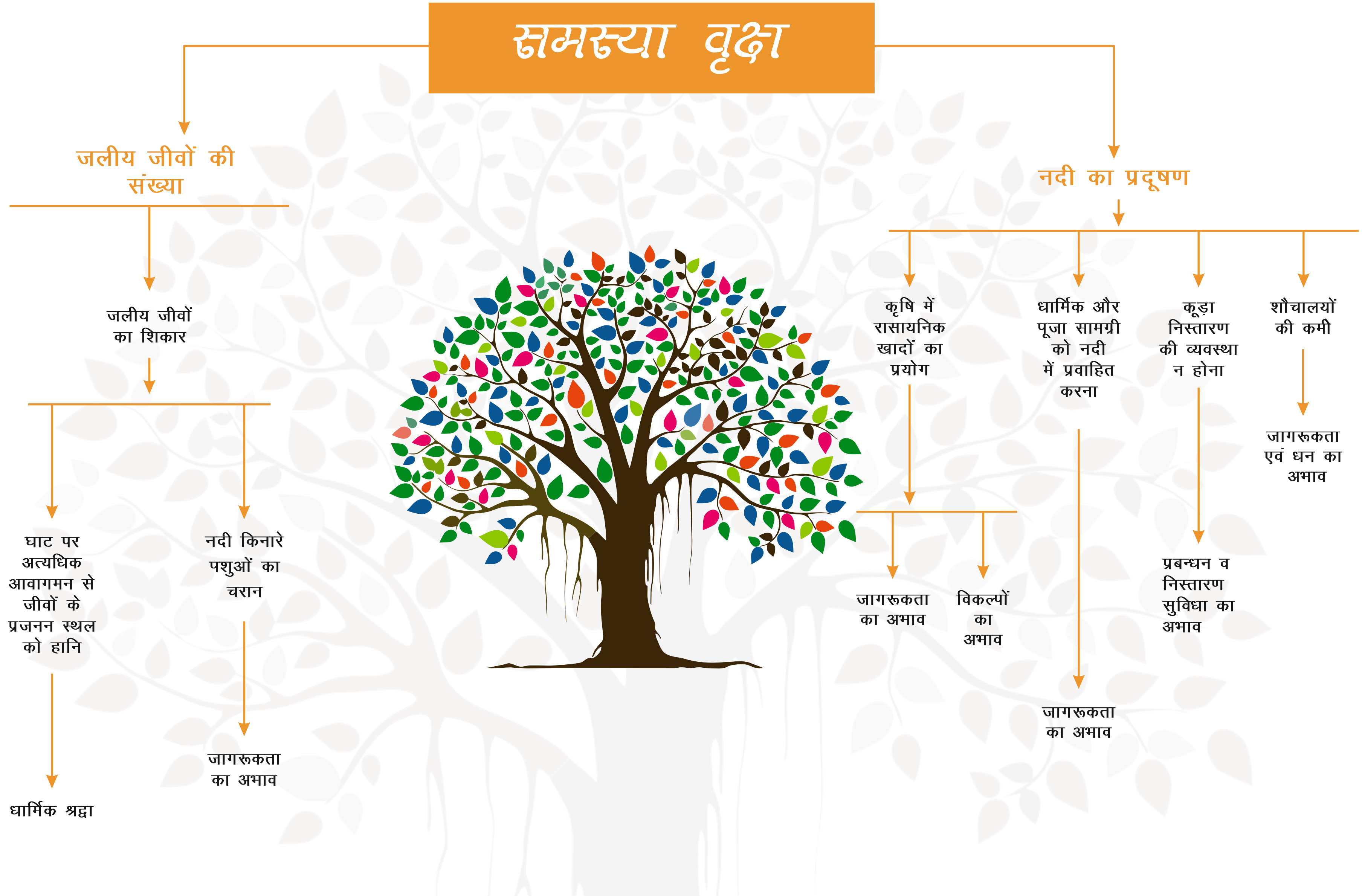

चित्र संख्या 2 – समस्या वृक्ष

भाग – ५ नियोजन का उद्देश्य

सूक्ष्म नियोजन का मुख्य उददेश्य गंगा की जैवविविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे संरक्षण कार्यों की सत्तता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्देश्य

गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

- गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैव विविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।
- वैकल्पिक आजीविका के लिये क्षमता और कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन और उसके लिये बाजार उपलब्ध कराना।
- कूड़े के निस्तारण व प्रबन्धन के लिये सीनीय निवासियों तथा श्रद्धालुओं को जागरूक करना।

नदी की जैवविविधता एवं नदी पर समुदाय की निर्भरता के आधार पर गांव का चयन

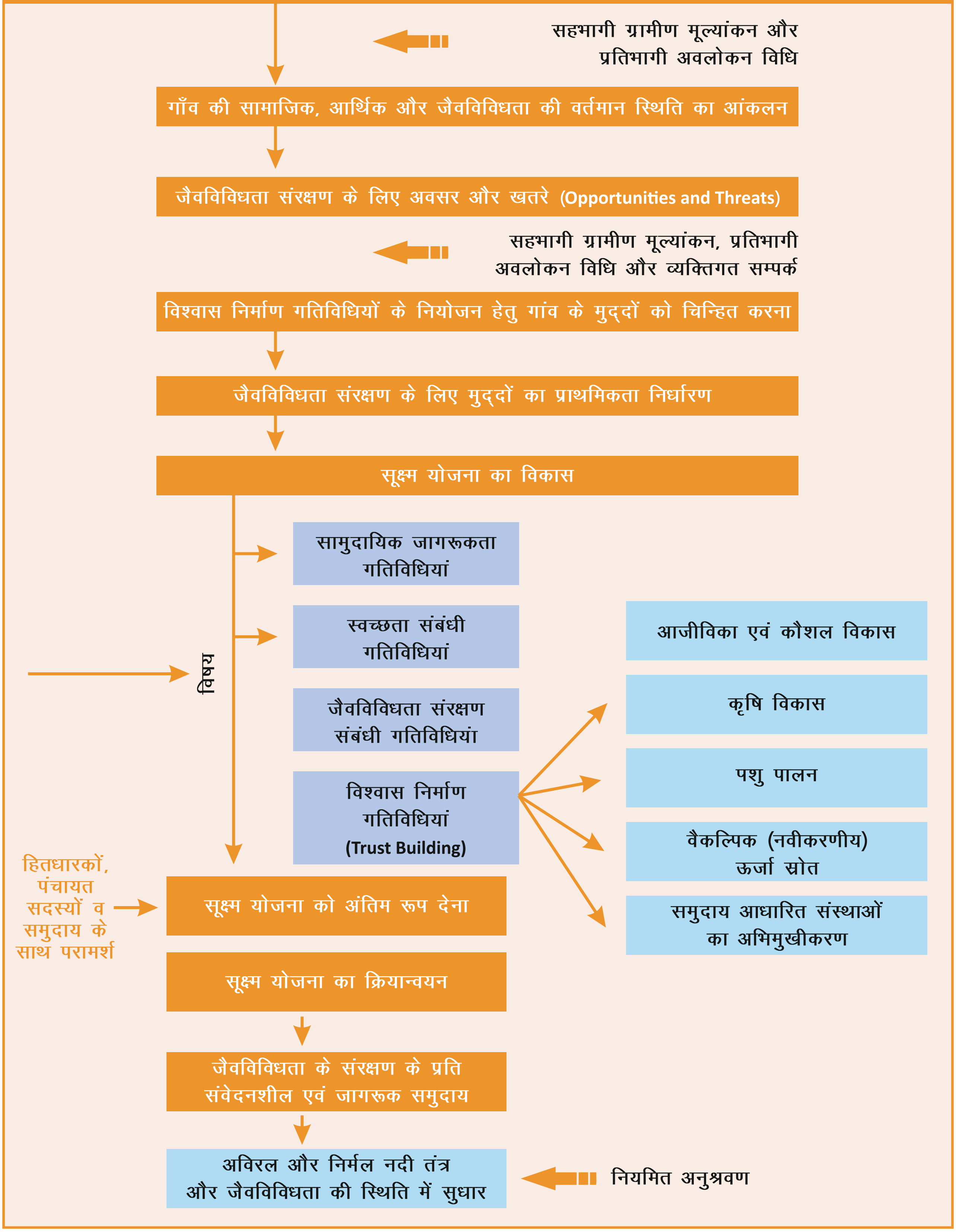

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग – ६ प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति तथा समन्वयन

६.१ सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ

छित्तूपुर ग्राम पंचायत गंगा नदी के किनारे तथा धार्मिक नगरी वाराणसी से 13 कि0मी0 की दूरी पर मुख्य घाटों के दूसरी ओर बसा है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु स्नान आदि के लिये आते हैं। गंगा पर अपनी श्रद्धा के कारण लोग पूजा सामग्री कपड़े आदि नदी में फेंक देते हैं। नदी की स्वच्छता को बनाये रखने और जलीय जीवों के संरक्षण के लिये स्थानीय लोगों के साथ ही श्रद्धालुओं को भी जागरूक करना आवश्यक है जिसके लिये निम्न गतिविधियां की जा सकती हैं।

- गंगा नदी के धार्मिक स्वरूप और उसकी स्वच्छता को बनाये रखने के लिये मेलों, त्यौहारों, स्नान आदि के समय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैव विविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
- गंगा किनारे स्वच्छता बनाये रखने से संबंधित बोर्ड आदि लगाना।
- गंगा नदी के महत्व और उसकी स्वच्छता को बनाये रखने से संबंधित नारों आदि का मुख्य मार्गों व अन्य उचित स्थानों पर लेखन।
- शौचालयों के निर्माण व प्रयोग के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- मछुआरों को सही जाल के प्रयोग के लिये जागरूक और प्रेरित करना।

६.२ समुदाय आधारित संस्थाओं का अभिमुखीकरण

छित्तूपुर पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वंय सहायता समूह गठित हैं, जिसमें महिलाएं शामिल है। समूह की महिलायें बैंक प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इन समूहों को प्रति समूह रिवाल्विंग फंड प्रदान किया गया है, जिससे समूह के सदस्य आपस में लेन देन करते हैं। साथ ही इन समूहों को जैव विविधता संरक्षण संबंधी जानकारी देकर इन्हें कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

बैठकों के दौरान आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम किये जाने की मांग समुदाय द्वारा की गई है, कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं युवकों के समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षित किये जाने के साथ ही जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम की निरन्तरता सुनिश्चित करने में सहयोग कर सकें।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन व युवक मंगल दल के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

६.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ

छित्तूपुर ग्राम पंचायत में समुदाय की आजीविका का साधन मुख्य रूप से मजदूरी है। समुदाय नौकायन, मछली पकडने, धार्मिक एवं व्यवसायिक कार्यों, गंगा किनारे कृषि (पालिज) एवं अन्य कृषि कार्यों के साथ ही पशुओं के चारे हेतु गंगा पर निर्भर हैं।

जैव विविधता संरक्षण के लिये जनसमुदाय को प्रेरित करने के लिये आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें संवेदनशील किया जा सकता है। आजीविका कार्यक्रम न केवल युवाओं व महिलाओं के कौशल का विकास कर उनकी आजीविका को सुनिश्चित करेंगें बल्कि जैवविविधिता संरक्षण के विषय में जानने का एक मंच भी प्रदान करेंगें। खासतौर से नदी किनारे खेती करने वाले

परिवारों के सदस्यों को वैकल्पिक आजीविका के लिये प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। बैठकों के दौरान समुदाय द्वारा सिलाई, ब्यूटीशियन, मोबाईल रिपेयरिंग, प्लमबिंग, कम्प्यूटर कोर्स आदि की मांग की गई है।

आजीविका एवं कौशल विकास हेतु समुदाय में निम्न गतिविधियां की जायेंगी –

- स्थानीय समुदाय के लिये उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।
- बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
- आजीविका व कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन।
- प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।
- स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।

६.४ स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ

छित्तूपुर ग्राम पंचायत में समय–समय पर धार्मिक मेले गंगा नदी के किनारे आयोजित किये जाते हैं। जिसके बाद पंचायत व घाट की स्वच्छता को बनाये रखना आवश्यक हो जाता है। कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण समुदाय द्वारा कूड़ा जला दिया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, परंतु अभी भी लगभग 50% परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं। साथ ही घाट पर शौचालयों एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने के कारण नदी किनारे गंदगी रहती है। ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान हेतु कोई व्यवस्था नही है। छित्तूपुर गांव के पास के गांव रमन्ना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही कूड़ा निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम स्तर पर गठित गंगा प्रहरियों व अन्य संगठनों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

- बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता रखने, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।
- जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
- जिला स्तर पर संबंधित विभाग से संपर्क कर गांव और घाटों पर शौचालय निर्माण के लिये समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन करना।
- धार्मिक सामग्री के निस्तारण हेतु नदी किनारे गंगा कलश, बायो डस्टबिन जैसी सुविधाओं की स्थापना जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ ही नदी तट की स्वच्छता भी बनी रहे। इसके लिये जिला गंगा समिति का सहयोग लिया जा सकता है।

६.५ कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ

छित्तूपुर में 14 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। गाँव में उपलब्ध कुल 73 हेक्टेयर भूमि में से 43 हैक्टेयर भूमि पर ही खेती की जाती है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गंगा किनारे की जाने वाली खेती के कारण जलीय जीवों के प्रजनन और आवास पर भी संकट है। कृषि से संबंधित निम्न गतिविधियां गाँव में की जानी हैं –

- रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करने के लिये जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
- जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
- विभाग के सहयोग से जैविक खाद बनाने के लिए कृषकों को तैयार किया जायेगा तथा उन्हें जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।
- नर्सरी या पौधशाला निर्माण की जानकारी देना।
- रेखीय विभागों के साथ समन्वय कर ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

६.६ पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ

छित्तूपुर में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 350 परिवारों के पास पशु हैं, जिनके लिये खेतों और गंगा के किनारे से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। गाँव में पशुपालन संबंधी निम्न कार्य किये जाने हैं–

- ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं के लिए चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमे पशुओं के टीकाकरण एवं बीमारियों की रोकथाम के बारे में जानकारी दी जायेगी।
- विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौश्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।
- पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय और इसके लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के बाद नवयुवकों को इनसे जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
- चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये बंजर खेतों, मेढ़ों एवं व्यक्तिगत भूमि पर पर चारा पत्ती वाले वृक्षों व घास के रोपण हेतु प्रोतसाहित किया जायेगा।

६.७ जैव विविधता एवं आवास पुनर्स्थापन संबंधी गतिविधियाँ

जैव विविधिता संरक्षण के प्रति जनसमुदाय को जागरुक करने के लिये ग्राम स्तर पर गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी, गाँव तथा आसपास की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध हैं।

- जलीय जीवों के महत्व के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करने के लिये गंगा प्रहरियों को प्रशिक्षित करना।
- गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।
- बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी, बचाव व पुर्नवास के लिये वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं सहयोग।
- मृदा व जल संरक्षण के लिये ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि व नदी किनारे वन विभाग के साथ मिलकर वृहद वृक्षारोपण करना।

६.८ रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण	वन विभाग, उद्यान विभाग
3.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, WISE,HESCO आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन,	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – ७ व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

७.३ सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विष्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1	गंगा नदी के धार्मिक स्वरूप और उसकी स्वच्छता को बनाये रखने के लिये मेलों, त्यौहारों, स्नान आदि के समय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
2	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैव विविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
3	गंगा किनारे स्वच्छता बनाये रखने से संबंधित बोर्ड लगाना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
4	गंगा नदी के महत्व और उसकी स्वच्छता को बनाये रखने से संबंधित नारों आदि का मुख्य मार्गों व अन्य उचित स्तीनों पर लेखन।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
5	शौचालयों के निर्माण व प्रयोग के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
6	मछुआरों को सही जाल के प्रयोग के लिये जागरूक और प्रेरित करना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
7	ग्राम में गठित संस्थाओं को जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें संरक्षण के कार्यों में जोड़ना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
8	बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
9	आजीविका व कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
10	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक रुप से व्यवहार्य है। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
11	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।	पर्यावरणीय, तथा सामाजिक रुप से व्यवहार्य है। तकनीकी व आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
12	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता रखने, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
13	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
14	जिला स्तर पर संबंधित विभाग से समन्वय कर गांव और घाटों पर शौचालय निर्माण के लिये समन्वय स्थापित किया जायेगा।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
15	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन करना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
16	धार्मिक सामग्री के निस्तारण हेतु नदी किनारे गंगा कलष, बायो डस्टबिन जैसी सुविधाओं की स्थापना	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
17	रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करने के लिये जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	विभाग के सहयोग से जैविक खाद बनाने के लिए कृषकों को तैयार किया जायेगा तथा उन्हें जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
19	नर्सरी या पौधशाला निर्माण की जानकारी देना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
20	रेखीय विभागों के साथ समन्वय कर ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
21	ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
22	विभागीय सहयोग (पशु पालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
23	चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये बंजर खेतों, मेढ़ों एवं व्यक्तिगत भूमि पर पर चारा पत्ती वाले वृक्षों व घास के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
24	जलीय जीवों के महत्व के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करने के लिये गंगा प्रहरियों को प्रशिक्षित करना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
25	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
26	बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी, बचाव व पुर्नवास के लिये वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं सहयोग।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
27	मृदा व जल संरक्षण के लिये ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि व नदी किनारे वन विभाग के साथ मिलकर वृहद वृक्षारोपण करना।	तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, तथा आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम छित्तूपुर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट छित्तूपुर

क्रम सं0	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
1	सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां			
i	स्वच्छता को बनाये रखने के लिये मेलों, त्यौहारों, स्नान आदि के समय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	10	30000	300000
ii	जागरूकता रैली	10	20000	200000
iii	रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करने के लिये जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता	5	10000	50000
iv	दीवार लेखन	50	500	25000
v	घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	4	10000	40000
vi	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	6	5000	30000
vii	मछली पकड़ने के उचित जाल के उपयोग पर मछुआरों के साथ जागरूकता कार्यक्रम	5	10000	50000
				695000
2	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण			
i	समूह के सदस्यों, अन्य ग्राम संगठनों को जैव विविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना।	2	20000	40000
ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	150000	600000
iii	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	1	50000	50000
iv	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
v	नर्सरी या पौधशाला निर्माण प्रशिक्षण	1	50000	50000
vi	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
vi	कृषि वानिकी, पशुपालन एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	50000	50000
				990000

बजट छित्तूपुर

क्रम सं0	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
3	प्रदर्शन एवं निर्माण			
I	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रर्दशन (Demonstration)	1	50000	50000
iii	पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन	4	10000	40000
iv	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन	20	2000	40000
v	गाँव एवं घाटों पर स्वच्छता संबन्धित व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ादान लगाना)	10	8000	80000
vi	वृक्षारोपण			**50000**
4	मानवशक्ति एवं यात्राव्यय			300000
i	फील्ड असिस्टेंट	1	10000	600000
ii	यात्रा व्यय			150000
				750000
		कुल		**2735000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण क्रियान्वयन एजेंसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित गंगा समिति व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स के भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होगें।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं एन0एम0सी0जी–भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होगें –

एन0एम0सी0जी–भारतीय वन्य जीव संस्थान

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।

- समय समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन।

7.5 विवाद का निपटारा

गाँव में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव

- अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।
- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर।
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ।
- क्रियान्वित गतिविधियो की रिपोर्ट।
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण।
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण।
- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज।

7.7 सफलता के सूचक

- गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
- गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं। व उनके उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध करा दिया गया है।
- समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
- ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
- समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वंय गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
- आजीविका के अवसरों में वृद्धि।
- गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

अनुलग्नक 1

समझौता ज्ञापन

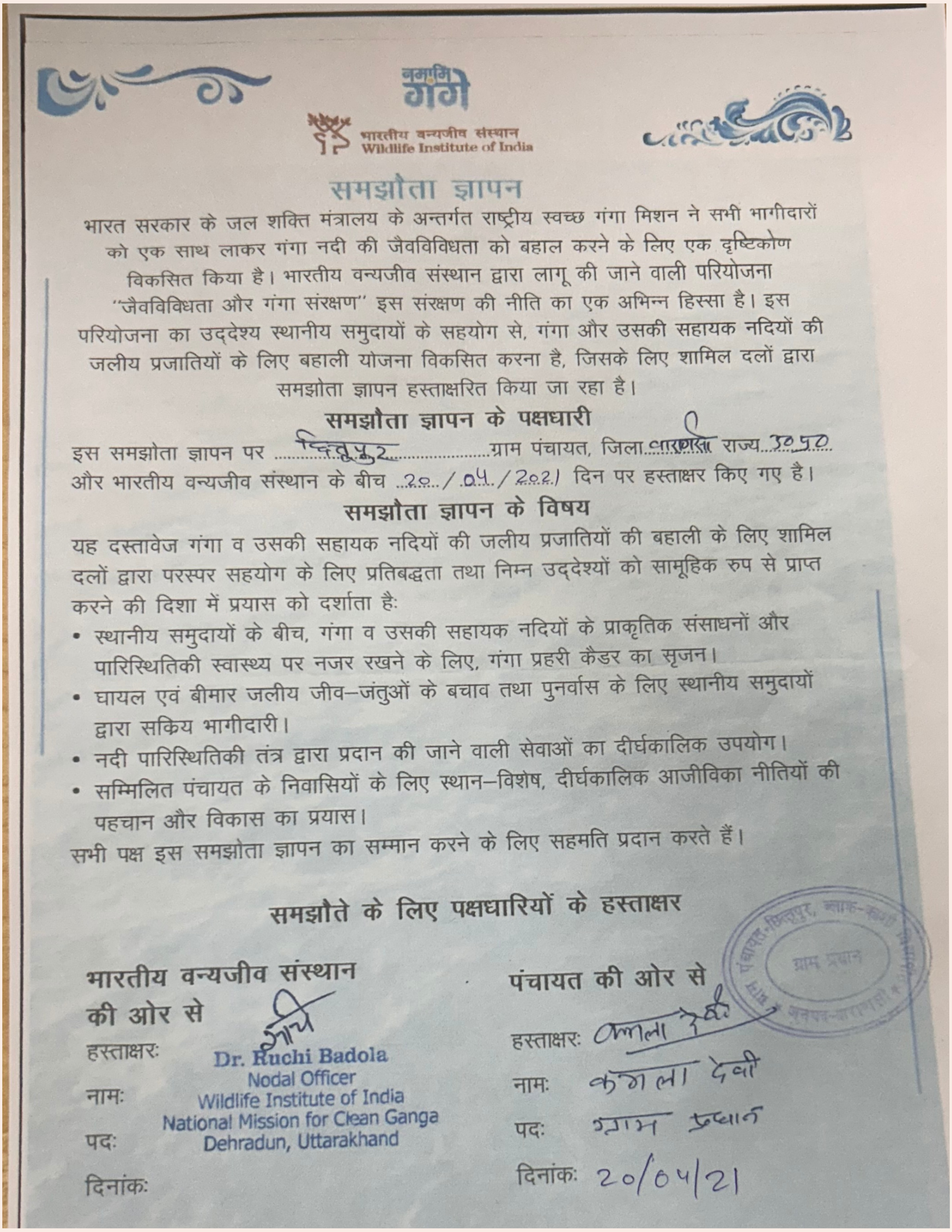

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

समझौता ज्ञापन

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैवविविधता और गंगा संरक्षण" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझोता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ......छितुपुर...... ग्राम पंचायत, जिला...वाराणसी... राज्य...उ०प्र०... और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच ..20../..04../..2021.. दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा व उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी कैडर का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के निवासियों के लिए स्थान–विशेष, दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी पक्ष इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम: Dr. Ruchi Badola

पद: Nodal Officer, Wildlife Institute of India, National Mission for Clean Ganga, Dehradun, Uttarakhand

दिनांक:

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षर: कमला देवी

नाम: कमला देवी

पद: ग्राम प्रधान

दिनांक: 20/04/21

अनुलग्नक 2

सामाजिक मानचित्र छित्तूपुर

अनुलग्नक 3

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

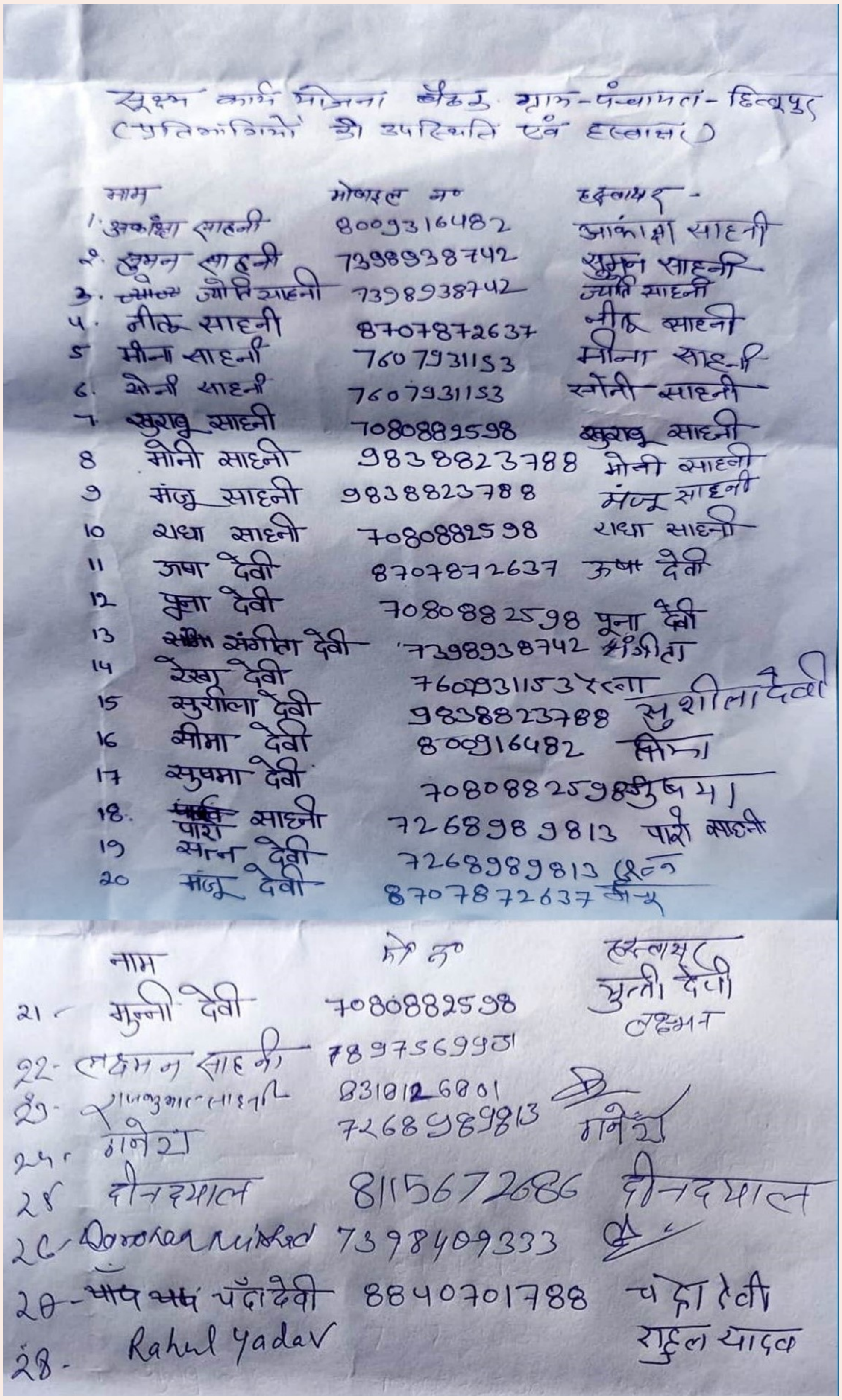

सूक्ष्म कार्य योजना बैठक ग्राम-पंचायत- हिलपुर
(प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर)

नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर -
1. अकांक्षा साहनी	8009316482	आकांक्षा साहनी
2. सुमन साहनी	7398938742	सुमन साहनी
3. ~~ज्योत्~~ ज्योति साहनी	7398938742	ज्योति साहनी
4. नीतू साहनी	8707872637	नीतू साहनी
5 मीना साहनी	7607931153	मीना साहनी
6. सोनी साहनी	7607931153	सोनी साहनी
7 सुराबु साहनी	7080882598	सुराबु साहनी
8 मोनी साहनी	9838823788	मोनी साहनी
9 मंजु साहनी	9838823788	मंजू साहनी
10 राधा साहनी	7080882598	राधा साहनी
11 उषा देवी	8707872637	ऊषा देवी
12 पुना देवी	7080882598	पुना देवी
13 ~~संगी~~ संगीता देवी	7398938742	संगीता
14 रेखा देवी	7607931153	रेखा
15 सुशीला देवी	9838823788	सुशीला देवी
16 सीमा देवी	8009164482	सीमा
17 सुषमा देवी	7080882598	सुषमा
18. ~~पार्वती~~ पारो साहनी	7268989813	पारो साहनी
19 सान देवी	7268989813	[illegible]
20 मंजू देवी	8707872637	मंजू

नाम	फो० नं०	हस्ताक्षर
21- मुन्नी देवी	7080882598	मुन्नी देवी
22- लक्षमन साहनी	789756999	लक्ष्मन
23- राजकुमार साहनी	8318126801	[illegible]
24- गनेश	7268989813	गनेश
25 दीनदयाल	8115672686	दीनदयाल
26- Danoran Mishra	7398409333	[illegible]
27- ~~चांद~~ चंदा देवी	8840701788	चंदा देवी
28- Rahul Yadav		राहुल यादव

फोटो गैलरी

अनुलग्नक - 3

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean _ganga

नमामि गंगे

National Mission for Clean Ganga,
Ministry of Jal shakti

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Wildlife Institute of India
Chandrabani, Dehradun-248001, Uttarakhand

GACMC / NCRR

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre/
National Centre For River Research
Wildlife Institute of India, Dehradun
nmcg@wii.gov.in